III 823 ②

राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 80/झुं/1994-95

यह प्रमाणित किया जाता है कि हीरदेवी मूधाराम शिशु सदन संस्था पिलानी जिला झुंझुनूं का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 3 ता. माह फरवरी सन् एक हजार नौसौ पचानवें को झुंझुनूं में दिया गया।

3/2/95

रजिस्ट्रार संस्थाए
झुंझुनूं (राज.)

Principal
Sen. Secondary School
PILANI (Rajasthan)

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण हेतु

(10)

आवेदन-पत्र

हरि देवी मूथाराम शिशु सदन, पिलानी समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1 संस्था का नाम : इस संस्था का नाम हरि देवी मूथाराम शिशु सदन, पिलानी समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2 पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय पिलानी, राजस्थान है। तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3 संस्था उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1 शिक्षा का प्रसार।
2 अंग्रेजी माध्यम द्वारा शहर के बच्चों का शिक्षण।
3 छात्रों में चरित्र निर्माण तथा देशप्रेम की भावना का विकास।
4 छात्रों को शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान।
5 विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सहशैक्षिक-प्रवृत्तियों का संचालन।
6 निर्धन छात्रों को शिक्षा प्राप्ति हेतु आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना।
7 विद्यालय कॉलेज आदि का संचालन

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4 संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं -

क्र सं	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	श्री राधाकृष्ण बिड़ला	व्यापार	हारमोनी पिलानी	संरक्षक
2	श्री बी. के. सूद	(शिक्षा विभाग)	निदेशक, बी.ई.टी. पिलानी।	अध्यक्ष
3	श्री हर्षवर्धन बिड़ला	(व्यापार)	हारमोनी, पिलानी	सदस्य
4	श्री जे. सी. पांडे	(सर्विस)	सहायक निदेशक (स्टेट) बी.ई.टी. पिलानी	,,
5	श्री एस.सी. सोमानी	,,	चीफ एकाउंटेंट बी.ई.टी. पिलानी	(कोषाध्यक्ष)
6	श्री आर. जी. शर्मा	,,	प्रिंसिपल, साधु स्कूल पिलानी	सदस्य
7	श्री जी. डी. त्रिपाठी	,,	मेडिकल ऑफिसर बी.ई.टी. पिलानी	,,
8	कु. आ. मट्टू	,,	एच. जे. शिशु सदन	प्रधानाचार्या (मंत्री)

5 हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	श्री राधा कृष्ण बिड़ला	(व्यापार)	हारमोनी, पिलानी	R K Birla
2	श्री बी.के. सूद S/O	(शिक्षा विभाग)	निदेशक, बी.इ.टी पिलानी।	[signature]
3	श्री हर्ष वर्धन बिड़ला S/O	(व्यापार)	हारमोनी, पिलानी	Harshvardhan Birla
4	श्री जे. सी पांडे S/O	(सर्विस)	सहायक निदेशक (स्टेट) बी.इ.टी, पिलानी	[signature]
5	श्री एम. पी. सोमानी S/O	,,	चीफ एकाउंटेंट बी.इ.टी, पिलानी।	[signature]
6	श्री आर. जी शर्मा S/O	,,	प्रिंसिपल, साबू स्कूल पिलानी	[signature]
7	श्री जी. डी. त्रिपाठी S/O	,,	मेडिकल आफिसर बी.इ.टी, पिलानी	[signature]
8	श्री आर. पी. डाडा S/O	,,	ग्वालियर रेयन पिलानी	[signature]
9	श्री पी. एन. गुप्ता S/O	,,	बी.इ.टी, पिलानी	[signature]
10	कु. आ. मुट्टू S/O	,,	एच. जे. शिशुसदन पिलानी	A. Muttoo
11				
12				
13				
14				
15				

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

[signature]
प्रभारी चिकित्साधिकारी
राजकीय 'अ' श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय
पिलानी (झुन्झुनूं)
1 हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

[signature]
K. S. Rana Scientist
Central Electronics Engineering Research Institute
PILANI (RAJ) 333031
2 हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

[signature] अध्यक्ष

A. Muttoo
मंत्री

[signature] कोषाध्यक्ष

नाम संस्था .... हरि देवी मूथाराम शिशु सदन, पिलानी ~~समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था~~

विधान (नियमावली)

1 संस्था का नाम : इस संस्था का नाम हरि देवी मूथाराम शिशु सदन समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2 पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय .... पिलानी .... राजस्थान .... है तथा इसका कार्यक्षेत्र .... राजस्थान .... क्षेत्र तक सीमित होगा।

3 संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1 शिक्षा का प्रसार।
2 अंग्रेजी माध्यम द्वारा शहर के बच्चो का शिक्षण।
3 छात्रों में चरित्र निर्माण व देश प्रेम की भावना का विकास।
4 छात्रो को शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान।
5 विद्यार्थियो के सर्वांगीण विकास हेतु सहशैक्षिक प्रवृतियो का संचालन।
6 निर्धन छात्रों को शिक्षा प्राप्ति हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।
7 विद्यालय, कॉलेज, छात्रावास, आदि का संचालन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4 सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1-संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2-बालिग हों।
3-पागल, दिवालिये न हों।
4-संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5-संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5 सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

1-संरक्षक — ~~श्री स. कृ. बिड़ला।~~
2-विशिष्ठ — ~~श्री बी. के. सूद।~~
~~3-सम्माननीय~~
4-साधारण ~~अन्य सदस्य।~~
(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6 सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा:-

1- संरक्षक राशि .... वार्षिक आजन्म
2- विशिष्ठ राशि .... वार्षिक आजन्म ~~संबंधित नहीं~~ है।
3- सम्माननीय राशि .... वार्षिक
4- साधारण राशि .... वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त ~~अथवा रु~~ .... की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7 सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :–

1-मृत्यु होने पर 2-त्याग पत्र देने पर

3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जायेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8 साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9 साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे।

1 प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना। 2 वार्षिक बजट पारित करना।

3 प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4 संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा।)

10 साधारण सभा की बैठकें : 1 साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2 साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3 बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।

4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।

5 संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11 कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जावेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :–

1 अध्यक्ष–एक 2 ~~उपाध्यक्ष–एक~~ संरक्षक 3-मंत्री–एक 4 कोषाध्यक्ष–एक

5 सदस्य–~~तीन~~ 11

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ...4... पदाधिकारी व ...11... सदस्य कुल ...15... सदस्य होंगे। अधिकतम 21 सदस्य हो सकते हैं।

12 कार्यकारिणी का निर्वाचन : 1 संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा। Three years

2 चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3 चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13 कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे।

1 सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2 वार्षिक बजट तैयार करना।

16 संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1 चन्दा 2 शुल्क 3 अनुदान 4 सहायता 5 राजकीय अनुदान

(क) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जावेगी ।

(ख) अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष मे से किन्हीं दो पदाधिकारियों के सयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन संभव होगा ।

17 कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :-

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकें ।

1 अध्यक्ष ......आवश्यकतानुसार

2 मंत्री.... 5000/-...... रु.

3 कोषाध्यक्ष .. 5000/- रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।

अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी ।

18 संस्था का अंकेक्षण :

संस्था के समस्त लेखों-जोखों का वार्षिक अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टेड एकाउन्टेन्ट से कराया जावेगा । एम. एल. शर्मा एण्ड कं. झुंझुनू द्वारा सम्पादित होता है

19 संस्था का विधान में परिवर्तन :

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा ।

20 संस्था का विघटन :

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित करदी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी ।

21 संस्था के लेखे-जोखे का निरीक्षण :

रजिस्ट्रार संस्थाएं झुन्झुनू को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी ।

21 वित्तीय वर्ष : संस्था का वित्तीय वर्ष अप्रेल से मार्च होगा । प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) हरि देवी भूधाराम शिशु सदन विद्यालय समिति/सोसाइटी/संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है ।

3 संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना ।

4 वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना सेवा मुक्त करना ।

5 साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना ।

6 कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना ।

7 अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों करना ।

14 कार्यकारिणी की बैठकें :

1 कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष, मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

2 बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा ।

3 बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिपालन से कम समय में भी दी जा सकती है ।

4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी । विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेन्डा में थे । ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी । इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा ।

15 प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

(अ) अध्यक्ष :

1 बैठकों की अध्यक्षता करना ।

2 मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना ।

3 बैठकें आहूत करना ।

4 संस्था का प्रतिनिधित्व करना ।

5 संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।

(ब) उपाध्यक्ष :

1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना ।

2 प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना ।

(स) मंत्री :

1 बैठकें आहूत करना । 2 कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना ।

3 आय-व्यय पर नियन्त्रण करना ।

4 वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना ।

5 संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना ।

6 पत्र व्यवहार करना । 7 सम्पति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों ।

(द) उपमंत्री :

1 मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना ।

2 अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावें ।

(य) कोषाध्यक्ष :

1 वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना ।

2 दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना ।

3 चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

4 अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना ।